प्रेस नोट दिनांक- 31.08.2025

थाना मुगलसराय चन्दौली

- **थाना मुगलसराय व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में जिम संचालक की हत्या में संलिप्त व फरार ₹ 50000-50000/- के पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार.**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल सहित भारी मात्रा में अवैध असलहा व कारतूस बरामद**
- **इस घटना में संलिप्त अबतक कुल 11 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार.**

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी महोदय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन व कृष्ण मुरारी शर्मा क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 31.08.2025 को रात्रि में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगनराज सिंह मय हमराह व उपनिरीक्षक आशिष मिश्रा स्वाट/सर्विलास प्रभारी के साथ चकिया तिराहे पर मौजूदगी के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि जूलाई माह में हुयी जिम संचालक की हत्या में सम्मिलित अपराधी रोशन यादव व रोहित यादव रेलवे लाइन पकड़ कर पैदल मानसरोवर पोखरे की तरफ जा रहे है तथा उनके पास अवैध असलहा भी है जिससे वह दोनो कोई घटना कारित कर सकते है।
मुखबीर की सूचना पर पोखरे व जीटीआर ब्रिज के पास घेराबंदी की गयी इसी दौरान रास्ते पर खड़े दो व्यक्ति जिनके कन्धे पर बैग टंगा हुआ था को समय 01:23 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान 1- रोशन यादव पुत्र रामनारायण यादव निवासी ग्राम नसीरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर (उम्र 22 वर्ष) 2- रोहित यादव पुत्र भैयालाल यादव निवासी म0नं0 C-27/7 जगतगंज थाना चेतगंज जनपद वाराणसी (उम्र 26 वर्ष) के रूप में हुयी। दोनो के पास से 1-1 बैग बरामद किया गया। दोनो अभियुक्तों व बरामद बैग की तलाशी से 07 पिस्टल 32 बोर, 07 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 03 देशी तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त द्वारा बरामद पिस्टल से ही जिम संचालक की गोली मारकर हत्या की गई थी।

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ग्राम धरना में जिम संचालक अरविन्द यादव के हुये मर्डर मे हम लोग बाकी अपराधियो के साथ हत्या में शामिल होकर गोली मारे थे और जब अरविन्द यादव की मृत्यु हो गयी उसके बाद हम लोग मौके से फरार हो गये थे तथा मामला शांत देखकर पूर्व की भांति असलहा खरीद-फरोख्त के लिए आये थे।

विवेचना के क्रम में अभियुक्तों से कड़ाई से पुछताछ करने पर अभियुक्त रोहित यादव ने बताया कि मेरी रोशन यादव से दोस्ती काशी विद्यापीठ वाराणसी कालेज में कई वर्ष पहले छात्रासंघ के चुनाव में हुई थी। तब से मैं और रोशन यादव दोस्त हो गये थे तथा वर्ष 2022 में मैं एक ट्रक लूट व ट्रक के ड्राइवर व खलासी की हत्या के जुर्म मे चौकाघाट वाराणसी जेल मे बन्द था कि उसी जेल मे बृजेश यादव उर्फ बाबा यादव पुत्र बाबूलाल यादव निवासी ग्राम सिकटिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से मेरी मुलाकात हुई। तब से हम दोनो बाहर आने पर भी एक दुसरे से मिलते जुलते रहे तथा अवैध असलहा तस्करी का कार्य करते थे। हत्या की घटना के दिन बृजेश यादव उर्फ बाबा यादव के कहने पर मै रोशन यादव को अपने साथ लेकर अरविन्द के घर जान से मारने की नियत से गया था वहा पर हम लोगो से बृजेश यादव के अलावा कल्लू यादव, रोहित यादव, काजू यादव अपने अन्य साथी के साथ मिले तथा सभी लोग अरविन्द यादव के घर पर गये अपने घर पर अरविन्द नही मिले तो सभी लोग उसके जिम पर गये जहा पर अरविन्द मिले थोड़ी देर वाद विवाद के बाद उसकी गोली मारकर हत्या करने के बाद हम सभी लोग अलग अलग बाहर भाग गये थे।

अब उस घटना को हुये काफी दिन हो गया था तो हमे लगा कि अब सब शान्त हो गया है तो पुनः हम लोग आये थे। हम दोनो लोगो की तमाम लोगो से दुश्मनी है जिसके कारण हमेशा हम लोग अपने साथ पिस्टल रखते है तथा हम लोग पिस्टल खरीदने बेचने का काम भी करने लगे थे।

पूर्व की घटना- दिनांक-21.07.2025 को थाना मुगलसराय क्षेत्रांतर्गत ग्राम धरना में अरविन्द यादव उर्फ बिन्दू यादव पुत्र राम चन्द्र यादव निवासी ग्राम धरना थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली (जिम संचालक एवं प्रापर्टी डीलर) उम्र 40 को बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई थी। जिसे तत्काल ट्रामा सेंटर वाराणसी ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान अरविन्द यादव उर्फ बिन्दू की मृत्यु हो गई थी।

उक्त घटना के सम्बन्ध में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय पर .मु.अ.सं. 368/2025 धारा 103(1), 324(2), 352/3(5)/249/61(2)/45 BNS व 7 CLA ACT बनाम 1. श्याम सिंह यादव उर्फ कल्लू पुत्र सोमारू रामशास्त्री यादव, 2. ब्रिजेश यादव पुत्र बाबूलाल, 3. काजू यादव पुत्र बचाऊं यादव, 4. राजू यादव पुत्र बचाऊं यादव, 5. बाबा यादव उर्फ राम अवध यादव उर्फ घूरे पुत्र नत्थू यादव, 6. पंकज यादव पुत्र राम दुलार यादव, 7. रोहित यादव पुत्र बनारसी यादव, 8. ओम

प्रकाश यादव पुत्र बैजनाथ यादव सभी निवासी ग्राम सिटिकिया, थाना अलीनगर, जनपद चंदौली के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

जिसमें कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पंजीकृत अभियोग

1.मु.अ.सं. 368/2025 धारा 103(1), 324(2), 352/3(5)/249/61(2)/45 BNS व 7 CLA ACT थाना मुगलसराय चन्दौली।

2 मुं.अ.सं. 430/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय चन्दौली।

आपराधिक इतिहास

रोशन यादव पुत्र रामनारायण यादव निवासी ग्राम नसीरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष

i.मु0अ0स0-368/2025 धारा-3(5)/103(1)/324(2)/352 बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

ii. मु0अ0स0-46/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट व 111(3) बीएनएस थाना जीआरपी बलिया जनपद बलिया

iii. मु0अ0स0-04/2020 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

2.रोहित यादव पुत्र भैयालाल यादव निवासी म0नं0 C-27/7 जगतगंज थाना चेतगंज जनपद वाराणसी उम्र 26 वर्ष

i.मु0अ0स0-368/2025 धारा-3(5)/103(1)/324(2)/352 बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

ii.मु0अ0सं0 -251/18 धारा 147/323/336/504 भादवि थाना चेतगंज वाराणसी

iii. मु0अ0सं0 -187/22 धारा 402 भादवि थाना लालपुर/पाण्डेपुर वाराणसी

iv. मु0अ0सं0 -305/22 धारा 3(1)उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना लालपुर/पाण्डेपुर वाराणसी

गिरफ्तार अभियुक्त

1- रोशन यादव पुत्र रामनारायण यादव निवासी ग्राम नसीरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर (उम्र 22 वर्ष)

2- रोहित यादव पुत्र भैयालाल यादव निवासी म0नं0 C-27/7 जगतगंज थाना चेतगंज जनपद वाराणसी (उम्र 26 वर्ष)

बरामदगी

02 पिस्टल 32 बोर (हत्या में प्रयुक्त)

05 पिस्टल 32 बोर

(कुल 07 पिस्टल 32 बोर)

07 जिन्दा कारतूस 32 बोर
03 देशी तमंचा 315 बोर
03 जिंदा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगनराज सिंह
उपनिरीक्षक मनोज तिवारी
उपनिरीक्षक अजय कुमार
उपनिरीक्षक अभिषेक शुक्ला
HC विवेकानंद बघेल
HC मेंराज अहमद
HC अतुल कुमार सिंह

स्वाट/सर्विलांस

उ0नि0 आशीष मिश्रा
हे0का0 अरविंद भारद्वाज
हे0का0 राणा प्रताप सिंह
हे0का0 रामानंद यादव
हे0का0 बिजेंद्र कुमार सिंह
हे0का0 आशुतोष सिंह
हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव
हे0का0 मंटू सिंह
का0 अजीत कुमार सिंह
का0 गणेश तिवारी
का0 मनोज कुमार यादव
का0 मनीष कुमार
का0 संदीप कुमार

- **कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा 2.300 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**
- **बरामद अवैध अफीम की अनुमानित कुल कीमत 07 लाख रुपया।**

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक, चन्दौली द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी बरामदगी तथा अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में दिनांक-31.08.2025 को कोतवाली चन्दौली प्रभारी संजय कुमार सिह की टीम के निरीक्षक उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह, उ0नि0 कन्हैया मौर्य मय हमराह हे0का0 धीरेन्द्र यादव, हे0का0 विजय कुमार द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ एक व्यक्ति जो बिहार से अफीम लाकर चन्दौली व वाराणसी जनपदो में सप्लाई करता है वह व्यक्ति आज किसी ट्रेन से आकर मझवार रेलवे स्टेशन के सामने सर्विस लेन पर खड़ा होकर किसी साधन का इन्तजार कर रहा है। उक्त मुखबीर सूचना के आधार पर मझवार रेलवे स्टेशन के सामने सर्विस लेन से एक व्यक्ति को नीले रंग के बैग के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रौशन कुमार दांगी s/o रामेश्वर दांगी नि0 ग्राम लेम थाना चतरा जनपद चतरा (झारखण्ड) उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुयी। अभियुक्त के कब्जे से बरामद पिट्ठू बैंग के अन्दर से प्लास्टिक की थैली में आटे जैसा गुथा हुआ कथ्थई रंग का पदार्थ बरामद हुआ जिसके पैकेट को खोलकर सूंघा गया तो अफीम जैसी गन्ध आ रही है। बैंग में रखे सामान के बारे में पुछने पर अपने गलती की माफी मांगते हुए अभियुक्त ने बताया कि मेरे पिट्ठू बैंग में अफीम है। अभियुक्त के कब्जे से कुल 2.300 किग्रा अवैध अफीम बरामद हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे बैग में अफीम है जिसे मुझे बरकाकाना रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति लाकर देता है। इस माल को मै वाराणसी में आकर कैण्ट स्टेशन के पास एक व्यक्ति को देता हूं। जो व्यक्ति मुझे बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर माल देता है वही व्यक्ति मेरा फोटो और बैग की फोटो इंस्टाग्राम के माध्यम से वाराणसी वाले व्यक्ति को भेज देता है इस पहचान व लोकेशन के आधार पर अज्ञात व्यक्ति माल को ले जाता है इसके पूर्व भी दो बार मै यह काम कर चुका हूं।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 248/25 धारा 8/18 स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 थाना चन्दौली।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रौशन कुमार दांगी s/o रामेश्वर दांगी नि0 ग्राम लेम थाना चतरा जनपद चतरा (झारखण्ड) उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

कुल 2.300 किग्राग्राम अवैध अफीम

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

1.प्र0नि0 श्री संजय कुमार सिह थाना कोतवाली व जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 श्री देवेन्द्र बहादुर सिह चौकी प्रभारी कस्बा थाना कोतवाली व जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 श्री कन्हैया लाल मौर्य थाना व जिला चन्दौली

4.हे0का0 धीरेन्द्र यादव थाना कोतवाली व जनपद चन्दौली

5.हे0कां0 विजय कुमार गौड़ थाना कोतवाली व जनपद चन्दौली।